कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अयोध्या

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

(दूरभाष/फैक्स— 05278—261749, ई—मेल— dfofaizabad@rediffmail.com, dfofaizabad@gmail.com)

पत्रांक 250 /14—4 दिनांक:अयोध्या: 19.7. /2021

सेवा में,

सुश्री नेहा सिंह
सहायक प्रबन्ध (रिटेल सेल्स)
फैजाबाद(अयोध्या)
इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड
चन्द्रकान्ता भवन, न्यू बुद्धा नगर कालोनी
देवरिया बाई पास तारामण्डल रोड, गोरखपुर।

विषयः— जनपद—अयोध्या (फैजाबाद) में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इलाहाबाद—फैजाबाद (रा0रा0मार्ग सं0—330) मार्ग के किमी0 132 से 133 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम—नैपुरा, तहसील—सोहावल मे अवैध रूप से रिटेल आउटलेट की स्थापना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— इस कार्यालय का पत्रांक 3024/22—1 दिनांक 03.03.2021 व आपका पत्र दिनांक 23.03.2021, इस कार्यालय का पत्रांक 3330/14—4 दिनांक 25.03.2021 तथा आपका पत्रांक GKP-DO/PrabhukripaFs /2021/1 दिनांक 03.06.2021 जो इस कार्यालय में दिनांक 07.06.2021 को प्राप्त हुआ है

कृपया उपरोक्त पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जनपद—फैजाबाद (अयोध्या) में इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इलाहाबाद—फैजाबाद (अयोध्या) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—330 किमी0 132—133 के मध्य बॉयी पटरी पर स्थित ग्राम—नैपुरा, तहसील—सोहावल, जिला—अयोध्या में बिना उत्तर प्रदेश शासन की विधिवत स्वीकृति के उक्त स्थल पर रिटेल आउटलेट की वन संरक्षण अधिनियम—1980 के प्राविधानों का उल्लघंन कर दिनांक 18.09.2016 से अवैध रूप से संरक्षित वन क्षेत्र का उपयोग किया जा रहा है।

उक्त के सम्बन्ध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार के पत्रांक सं0—11—42/2017—एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में उक्त भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आगणित एन0पी0वी0 रूपये 77280.00 की पांच गुना अर्थात् 77280X5= 386400.00 रू0 की दण्डात्मक एन0पी0वी0 अधिरोपित की गयी थी तथा उक्त धनराशि दिनांक 20.03.2021 तक जमा करने का निर्देश दिया गया था।

उपरोक्त के कम में आप के पत्र दिनांक 23.03.2021 में आप के द्वारा किये गये अनुरोध पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भारत सरकार के पत्रांक सं0—11—42/2017—एफ0सी0, दिनांक 29.01.2018 के बिन्दु—सी0 के अनुसार उक्त भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आगणित एन0पी0वी0 रूपये 77280.00 की दो गुना अर्थात् 77280X2= 154560 x20%=30912.00 रू0 की दण्डात्मक एन0पी0वी0 अधिरोपित करते हुये दिनांक 30.03.2021 तक जमा करने का निर्देश दिया गया था। आप के पत्र GKP-DO/PrabhukripaFs /2021/1 दिनांक 03.06.2021 में आपके द्वारा किये गये अनुरोध पर पुनः संशोधित मॉग पत्र दिया जा रहा है।

अतः आप उक्त धनराशि को जमा करने हेतु मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय से सम्पर्क कर अतिशीध्र जमा कराना सुनिश्चित करें एवं संशोधित सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये पावती रसीद सहित पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(दिव्या)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।

पत्रांक /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, उ0प्र0, अयोध्या।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अयोध्या रेंज।

(दिव्या)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।